

भारत में मानव अधिकार संरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था

कौशल कुमार सैन

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

शोध सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ मानव अधिकारों की रक्षा को संविधान का मूल आधार माना गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न मौलिक अधिकारों एवं संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था करता है। इस शोध का उद्देश्य भारत में मानव अधिकार संरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था, उसके प्रभाव तथा समकालीन चुनौतियों का अध्ययन करना है। अध्ययन में पाया गया कि भारतीय संविधान के भाग-III में वर्णित मौलिक अधिकार मानव अधिकारों की रक्षा का प्रमुख आधार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक हैं। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, निजता और सम्मानजनक जीवन को भी मानव अधिकारों का हिस्सा माना है। जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था ने आम नागरिकों को न्याय तक पहुँच आसान बनाई है। अध्ययन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोगों तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका का भी विश्लेषण किया गया है। ये संस्थाएँ मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच, जागरूकता और सुझाव देने का कार्य करती हैं। हालाँकि शोध में यह भी पाया गया कि गरीबी, अशिक्षा, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, पुलिस अत्याचार तथा सामाजिक असमानताओं के कारण मानव अधिकारों का पूर्ण संरक्षण अभी भी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता की कमी तथा न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता भी मानव अधिकार संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती है।

मानवाधिकार संरक्षण में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रशासन न्याय व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है। अतः मानवाधिकार संरक्षण प्रशासन का मुख्य कर्तव्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड विधान में विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को संरक्षण दिये जाने, बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करने अनुरक्षण की अवधि में अमानवीय व्यवहार से रक्षा करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा मानव पर अत्यधिक बल प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही आम नागरिकों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन आदि के अधिकार दिए हैं। प्रशासन किसी भी शासन की कार्यकारी शाखा है। जिस पर प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के गलत प्रयोग और सुरक्षा का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए प्रशासन को बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इस बल का निश्चित सीमा तक तथा विवेक पूर्ण उपयोग करना जरूरी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा की जा सके। साथ ही किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों के रक्षार्थ प्रशासन द्वारा अन्य किसी के अधिकारों का हनन न हो। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रशासन को मानवाधिकारों के संबंध में पूर्ण शिक्षा दी जाए। प्रशासन द्वारा कई तरीकों से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे - आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग, गलत व्यक्ति को गिरफ्तार करना, किसी व्यक्ति को झूठे प्रकरण में अभियोजित कर लेना, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से अभिरक्षा में रखना आदि।

शब्द कुंजी - भारतीय दण्ड विधान, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संविधान, भेद, रंग भेद, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, रूढ़िवादी समाज, जातिय भेदभाव, सरकारी तंत्र की कमजोरी, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास,

प्रस्तावना –

मानवाधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते है एवं जिनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ही संभव है। जिन देशों में मानवाधिकारों का हनन होता है। वहाँ पर लोकतन्त्र की ज्योति बुझ जाती है एवं उस देश में हिंसा, अराजकता, अस्थिरता, असुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएँ एवं बच्चों का शोषण होता है एवं इन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है। आज विष्व के समक्ष सबसे ज्वलंत मुद्दा मानवाधिकारों का हनन एवं इनकी रक्षा का है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 10 दिसम्बर 1948 को 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र' जारी किया। जिससे की विश्व के सभी देशों में व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। लोकतन्त्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के मानवाधिकारों की सबसे ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। लोकतन्त्र व मानवाधिकार एक-दूसरे की आवश्यकता बन गये है। जहाँ लोकतन्त्र होगा वहाँ मानवाधिकार होंगे तथा जहाँ मानवाधिकार होंगे वहाँ लोकतन्त्र होगा। भारतीय संविधान के भाग- तीन में मौलिक अधिकार स्थापित कर व्यक्ति के मानवाधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन आज भी मानवाधिकारों की रक्षा के मार्ग अनेक चुनौतियाँ है। जिनमें अशिक्षा, गरीबी, लिंग भेद, नस्लीय भेद, रंग भेद, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, रूढ़िवादी समाज, अंधविश्वास, जातिय भेदभाव, सरकारी तंत्र की कमजोरी, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, आदि। लेकिन आज मानवाधिकारों को सुदृढ़ एवं उनकी रक्षा के लिए इन चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है जिससे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। मानवाधिकारों से समाज से शांति, सौहार्द, भाईचारा व विश्व बन्धुत्व की भावना बढ़ती है, अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सद्भावना को बढ़ावा मिलता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत होती है। संविधान की उशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक पद से ये स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी शक्ति जनता की इच्छा से प्राप्त करती है। सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा है। जनता ही सरकार का निर्वाचन करती है। इससे यह भावना निकलती है कि सभी व्यक्ति मूलवंश, धर्म, भाषा, लिंग और संस्कृति के लिहाज के बिना समान है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र की आत्मा है। संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्न प्रकार की समानताएं प्रदान की गई है।

पद प्राप्ति की समानता - अनुच्छेद 16 के अनुसार 'सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार भी है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे।

भ्रमण की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या बिना किसी विशेष अधिकार-पत्र के भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता - भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। राज्य साधारणतः व्यक्ति को कोई विशेष नौकरी, व्यापार, अथवा व्यवसाय करने हेतु ना बाध्य करेगा और ना ही उसके इस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।

कानूनन समानता - अनुच्छेद 14 के अनुसार 'भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस व्यवस्था का आशय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानूनी व्यवहार करेगा।

सामाजिक समानता - कानून के समक्ष समानता के साथ-साथ संविधान के द्वारा सामाजिक समानता की भी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार 'राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा।

शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता - व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस अथवा प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है।

संघ निर्माण की स्वतंत्रता - संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदाय और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड़यन्त्र करें अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था भंग करें।

कानून में समानता - अनुच्छेद 20 के अनुसार 'किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो'। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्डित किया जा सकता है।

रक्षा का अधिकार - इसमें कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार - भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही है जिसके अंतर्गत हरिजनों, खेतिहर श्रमिकों तथा स्त्रियों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएँ हैं: अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार (जबरदस्ती) पर रोक लगा दी गई है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है।

मौलिक अधिकारों का संरक्षण - इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों, अथवा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा भी व्यक्तियों को चाहे वे विदेशी हों या भारतीय नागरिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं— 25 वें अनुच्छेद द्वारा सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार धार्मिक आचरण और प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी धर्मों के अनुयायियों को यह अधिकार दिया गया है। धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएँ बना सकेंगे। अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकेंगे। चल और अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकेंगे। अनुच्छेद 27 के अनुसार ऐसी समस्त आय को कर मुक्त कर दिया गया है जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो। अनुच्छेद 28 के अनुसार 'राजकीय निधि से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जायेगी। किन्तु अन्य अधिकारों की

भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है।'

संवैधानिक संरक्षण का अधिकार - संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को भी संविधान में स्थान दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं-

बंदी प्रत्यक्षीकरण - व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।

परमादेश - परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन का आदेश जारी किया जाता है।

प्रतिषेध - यह आज्ञा - पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों तथा अर्द्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहां कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

उत्प्रेषण - यह आज्ञा-पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करें या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों को भंग न करें।

अधिकार पृच्छा - जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता।

युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में जबकि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 23- किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, भीख मंगवाना और इसी तरह के कृत्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

अनुच्छेद 32 - महिला तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का प्रावधान।

अनुच्छेद 42 - राज्यों को इस अनुच्छेद में गर्भावस्था के दौरान काम करने के लिए छूट तथा अवकाश देने का अधिकार दर्शाया गया है।

गिरफ्तारी सम्बन्धी अधिकार - गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भारतीय संविधान में विधिक व्यवस्थाओं का ब्यौरा - अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताये बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22 (2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घण्टे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष

पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 (1) के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने व प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के जोगेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 'रिट पिटीशन' (सिविल) सं. 9/1994 में गिरफ्तार व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार बताये हैं- मेडिकल मुआयना करवाने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा अपने मित्र या सम्बन्धी को गिरफ्तारी का कारण या स्थान की सूचना देने का अधिकार। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार के वकील के मौजूद रहने का अधिकार। वकील से सलाह करने का अधिकार। यह अधिकार गिरफ्तारी के समय से ही प्रारम्भ हो जाता है।" मजिस्ट्रेट के पास बिना विलंब ले जाये जाने का अधिकार। जब भी किसी अभियुक्त को पुलिस हिरासत में रखा जाए, तो मानव गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं — अनुच्छेद 20 (3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सिविल और राजनीतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद 7 के अनुसार किसी व्यक्ति को यातना के या क्रूर, अमानवीय और निम्नकारी सजा के अधीन नहीं रखा जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता में धारा 330 व 331 में किसी अभियुक्त से संस्वीकृति करवाने व अपराध के बारे में जानकारी लेने या सम्पत्ति बरामद करवाने के लिए मारपीट करने को दण्डनीय बनाया गया है। न्यायालयों ने भी हिरासती अपराधों को सख्ती से दंडित करने की नीति अपनाई गई है। इसी प्रकार न्यायालयों ने बिहार पुलिस हिरासत में अभियुक्तों को अन्धा करने व अन्य मामलों में भी सख्त रवैया अपनाया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पुलिस अधिकारी अभियुक्त को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न दिलवायेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासती अपराधों को बहुत गंभीर माना है। आयोग ने सभी राज्यों को लिखा है कि हिरासत में मौत या बलात्कार की घटना होने पर सूचना, सूचना आयोग में 24 घण्टे में दी जायेगी। किसी अन्य स्त्रोत से आयेग को सूचना मिलने पर यह माना जाएगा कि अपराध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विधि आयोग ने 1985 में यह सिफारिश की है कि पुलिस हिरासत में मौत का मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा ऐसा न करने को साबित करने का भार पुलिस पर होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष में कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं।

प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार - अभियुक्त को अदालत में कानूनी रूप से प्रतिरक्षा करने का हक है। संविधान का अनुच्छेद 22 (1) यह उपबंध करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति वकील से सलाह करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 303 के अनुसार अभियुक्त को यह अधिकार होगा कि उसके पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। धारा 207 प्रावधान करती है कि न्यायालय प्रत्येक रिकार्ड की एक प्रतिलिपि अभियुक्त को अविलंब निःशुल्क देगा। निष्पक्षता का अधिकार - मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 10 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगे अभियोग में स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत में खुली और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 11 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग लगा है उसको खुली सुनवाई में अपराधी साबित होने तक निर्दोश माने जाने का अधिकार है। 'सिविल और राजनैतिक — अधिकारों के करार' के अनुच्छेद 10 (2) के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष व्यक्ति से अलग रखा जाएगा। 'सिविल और राजनैतिक अधिकारों के करार का उल्लेख अनुच्छेद 14 अनेक मानवाधिकारों का उल्लेख करता है जैसे न्यायालय के समक्ष समानता, निर्दोश होने की पूर्वधारणा, प्रतिरक्षा देने का अधिकार आदि। यह सभी नियम शीघ्र और निष्पक्ष सुनवाई के लिए निर्देश देते हैं'।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में घटनास्थल पर जाकर बयान लिये जाते हैं और जांच की जाती है। महिला अभियुक्त या संदिग्ध के साथ अभिरक्षा में अपराध होने पर भी आयेग द्वारा कार्यवाही की जाती है। महिलाओं से पुलिस अभिरक्षा के दौरान बलात्कार करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) में अधिक दण्ड यानी आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है।" बन्दी के अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय करार की पालना में बंदियों को कुछ विशेष मानवाधिकार प्रदान किये गये हैं जो निम्न प्रकार से है - और राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद 6 खण्ड (1) में कहा गया है कि - प्रत्येक मानव प्राणी को जीवन का अधिकार जन्मजात प्राप्त है। खण्ड (2) में यह कहा गया है कि जिन देशों में मृत्युदण्ड समाप्त नहीं किया गया है वहां

यह गम्भीरतम अपराध के लिए लागू होगा। खण्ड (4) में कहा गया है कि मृत्युदण्ड से दंडित प्रत्येक व्यक्ति को क्षमादान, सामूहिक क्षमा या दण्ड में कमी मांगने का अधिकार होगा और यह सभी मामलों में दिये जा सकेंगे। इसी करार के अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी और क्रूर, अमानवीय या निम्नकारी उपचार या सजा के अधीन नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 9 (5) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विधि विरुद्ध गिरफ्तारी का निरोध का पीड़ित है, उसे क्षतिपूर्ति का प्रवर्तनीय अधिकार होगा। भारत ने इस करार को स्वीकार किया है लेकिन अनुच्छेद 9 (5) को भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं किया है। अनुच्छेद 10 (2) (क) के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति, सिद्धदोष व्यक्तियों से अलग रखे जाएंगे और उनके साथ असिद्धदोष व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। उपखण्ड (ख) में कहा गया है कि जेल में बंद बंदियों मामले यथासंभव तेजी से निपटाए जाएंगे। खण्ड (3) में कहा गया है कि दण्ड प्रणाली का उद्देश्य कैदियों का सुधार व सामाजिक पुनर्वास होगा।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा - मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि 'सभी मानव प्राणी गरिमा और अधिकारों के दृष्टि से स्वतंत्र और समान जन्में हैं और उन्हें बुद्धि व अन्तरआत्मा की देन प्राप्त है'। अन्य व्यक्तियों की भांति ही यह अधिकार बंदियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी को भी यातना नहीं दी जाएगी और किसी को क्रूर, अमानवीय या निम्नकारी उपचार या सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 9 में यह घोषित किया गया है कि किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरूद्ध या देश-निष्काशित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 11 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप किया गया है, तब तक निर्दोश माना जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी प्रतिरक्षा की सुविधाएं प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया गया हो। इन घोषणाओं में बंदियों के अधिकार निहित हैं, चाहे वे विचाराधीन बंदी हों या निरूद्ध बंदी हों या निरूद्ध किये गये हों। बंदियों के उपचार हेतु मानदण्ड-संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1957 में कैदियों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत किये गये। महत्वपूर्ण मानवाधिकार नियम निम्नांकित हैं-

1. कैदियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जायेगी।
2. कैदियों को धार्मिक विश्वास से न रोका जाएगा।
3. कैदियों का श्रम पीड़ादायक नहीं होगा।
4. कैदियों के उपचार के लिए उचित तरीके अपनाए जायेंगे।
5. जैर सुनवाई कैदियों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी।
6. सिविल कैदियों को भी अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा।
7. कैदियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैदियों के धार्मिक विश्वास का सम्मान रखा जाएगा।
8. कैदियों को पृथक् रखा जाएगा।
9. कैदियों को रहने के लिए ऐसी जगह दी जाएगी जहां हवा, रोशनी, स्नान व सफाई की पूरी व्यवस्था हो। कैदियों को शरीर की देखभाल की सुविधा दी जाएगी। खाने-पीने का सामान स्वास्थ्यकर होगा।
10. कैदियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
11. अनुशासन व देड के लिए नियमानुसार कार्यवाही होगी।
12. कैदियों को शिकायत करने का अधिकार होगा।

भारत में बंदियों के अधिकार - भारत में लागू मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी उपबंध किये गये हैं। अधिनियम की धारा 12 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए निर्देश दिया गया है कि वह जेलों की दशा व बंदियों की अवस्था का अध्ययन करेगा और इनमें सुधार के लिए सिफारिश करेगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत में न्यायपालिका ने भी बंदियों को उनके अधिकार . दिलाने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। मानवाधिकार के

प्रावधान- दंड प्रक्रिया संहिता की भांति ही भारतीय दंड संहिता में भी मानवाधिकार के संरक्षण के कुछ प्रावधान उपलब्ध हैं- पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के अपराध के बारे में संस्वीकृति या सूचना प्राप्त करने के लिए या संपत्ति बरामद कराने या इस बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए चोट कारित करने पर सात वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है"। सामान्यतः अपराध दो प्रकार के होते हैं - जमानतीय और अजमानतीय । जमानतीय अपराध निम्न एवं सामान्य प्रकृति के होते हैं जबकि अजमानतीय अपराध गंभीर और संगीन प्रकृति के होते हैं। जब कोई व्यक्ति जमानती अपराध के अन्तर्गत आने वाला निम्न एवं सामान्य अपराध कारित करता है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उसे जमानत पर अथवा प्रतिभुओं रहित बन्धपत्र पर छोड़े जाने का आदेश दे सकेगा। जमानतीय अपराध कारित करने वाला कोई भी अभियुक्त जब भी न्यायालय के समक्ष लाया जायेगा दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अन्तर्गत जमानत पर छोड़े जाने की मांग कर सकेगा। यदि इसी अपराध के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखे व्यक्ति के साथ गंभीर चोट की जाती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 331 के अनुसार दस वर्ष की सजा और जुर्माना किया जाएगा।

निष्कर्ष

अंततः शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भारतीय संविधान मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत और व्यापक ढाँचा प्रदान करता है। फिर भी प्रभावी क्रियान्वयन, कानूनी जागरूकता, न्याय तक सरल पहुँच तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित किए बिना मानव अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रसाद गोविंद- महिला एवं बालश्रम, डिस्कवरी पब्लिकेशन्स हाउस नई दिल्ली, 2007
2. मोद अनिता - पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक इन्कलेव, जयपुर, 2001 ,
3. गोयल सुनिल गोयल संगीता - भारतीय समाज में नारी, आर. बी. एस.ए प्रकाशन, जयपुर 2013,
4. मुखर्जी रविंद्रनाथ व अग्रवाल भरत - भारतीय सामाजिक व्यवस्था, विवेक प्रकाशन, 2010
5. माथुर प्रियंका - महिला सशक्तिकरण, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2006
6. यादव रवि, दिप रागीणी, राज पूजा- भारत में महिला श्रमिक, एटलांटिक पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., नई दिल्ली 2010
7. आहूजा राम - भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2007
8. यादव राजेन्द्र ओर वर्मा अर्चना - अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2001
9. यादव रविन्द्र - इक्कीसवीं सदी की महिला सक्षमीकरण मिथक एवं यथार्थ, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2010
10. उपाध्याय भगवत शरण- भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पीपल्स पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली 2003
11. रावत हरिकृष्ण - उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2001